RITES
THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

राइट्स लिमिटेड
(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
**RITES LIMITED**
*(Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India)*

No. RITES/SECY/NSE

**Date: August 07, 2020**

| To: | To: |
|---|---|
| Listing Department,<br>National Stock Exchange of India Limited,<br>'Exchange Plaza', C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E),<br>Mumbai - 400 051 | Corporate Relationship Department,<br>BSE Limited, Rotunda Building,<br>P J Towers, Dalal Street, Fort,<br>Mumbai - 400 001 |
| **Scrip Code**- RITES | **Scrip Code**- 541556 |

**Sub: Submission of Annual General Meeting Notice Advertisement**

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith Notice of the 46th Annual General Meeting and e-voting information, published by the Company in Financial Express and Jansatta (Hindi Version) on 6th August, 2020.

Thanking You,

Yours faithfully,
For RITES Limited

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA

Digitally signed by ASHISH KUMAR SRIVASTAVA
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=110075, st=DELHI, serialNumber=27f84a7bbe98b074513ff532ce261bbe54b9b4654bbdfc3f9d6ecfb343548d9c, cn=ASHISH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2020.08.07 13:10:25 +05'30'

(Ashish Srivastava)
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. - FCS 5325

# Subsidiary of exchange can supervise investment advisors, says Sebi

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, August 6

**AMID GROWING NUMBER** of registered investment advisors, markets regulator Sebi on Thursday said a wholly-owned subsidiary of a stock exchange can administer and supervise such advisers. Besides, the regulator put in place the criteria for grant of recognition to a stock exchange's subsidiary and its responsibilities.

"Considering the growing number of registered Investment Advisers (IAs)... it is decided to recognise a wholly-owned subsidiary of the stock exchange (stock exchange subsidiary) to administer and supervise IAs registered with Sebi," the regulator said in a circular.

Under IA Regulations, Sebi can recognise any body or body corporate for the purpose of regulating IAs.

It further provides that Sebi may at the time of recognition of such body delegate administration and supervision of IAs to such body or body corporate on certain terms and conditions.

Sebi said the recognition of stock exchange's subsidiary will be based on eligibility of the parent entity.

## Sebi amends disclosure norms

**SEBI HAS AMENDED** disclosure norms pertaining to intimation of record date to stock exchanges. Under the norms, listed companies will intimate the record date for corporate events, including dividend declaration, bonus share and rights issue, to stock exchanges, Sebi said in a circular on Wednesday.

A company is required to inform all stock exchanges where it is listed or where stock derivatives are available on its stock or where its stock form part of an index on which derivatives are available. **PTI**

## NTPC Limited

(A Govt. of India Enterprise)

Registered Office Address : NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex, 7-Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003
Tel. No. 011-24360100, Fax: 011-24361018, E-mail: csntpc@ntpc.co.in,
Website: www.ntpc.co.in, CIN- L40101DL1975GOI007966

**NOTICE OF BOARD MEETING**

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at New Delhi on **Friday, August 14, 2020,** to inter- alia, consider, approve and take on record un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2020, after these results are reviewed by the Audit Committee of the Board.

The said Notice may be accessed on the Company's website at **www.ntpc.co.in** and may also be accessed on the Stock Exchanges' website at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**

For NTPC Limited
Sd/-
(Nandini Sarkar)
Company Secretary

Place :New Delhi
Date: 06.08.2020

**Leading the Power Sector**

## RITES LIMITED (A Govt. of India Enterprise)

CIN: L74899DL1974GOI007227
Registered Office: SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi - 110092

**NOTICE OF THE 46TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING & BOOK CLOSURE INFORMATION**

Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on **Friday, August 28, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visuals Means ("OAVM")** to transact the business as set out in the notice of the AGM. The Company has sent the Notice of AGM on Thursday, August 06, 2020 through electronic mode to the members whose email addresses are registered with the Company/ depositories in accordance with the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA circulars") and SEBI circular dated May 12, 2020.

Notice of the AGM and the Annual Report are also available on the company's website i.e. **www.rites.com** under the section **"INVESTORS < SHAREHOLDERS MEETING".** Members who have not received the notice of AGM and the Annual Report, may download it from the company's website. All relevant documents and registers referred to in the Notice will be available for inspection by the Members without payment of any fee from the date of circulation of the notice upto the date of the AGM i.e. August 28, 2020. Members seeking to inspect such documents are requested to send an email to **cs@rites.com**. Inspection shall be provided when it is mutually suitable.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as per the MCA circulars, the members are provided with the facility to cast their vote on all resolutions set forth in the notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting and e-voting) provided by Link Intime India Private Limited ("LIIPL"). The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the company as on Thursday, August 20, 2020 **(cut-off date).**

The remote e-voting period commences on Tuesday, August 25 2020 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Thursday, August 27 2020 at 5.00 PM (IST). During this period members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by LIIPL thereafter. Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitle to cast their vote again.

Any person who acquires shares of the Company and become member of the company after the notice has been sent electronically, and holds shares as on the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to **instameet@linkintime.co.in.** However, if he / she is also registered with LIIPL for remote e-voting then he /she can use his / her existing user ID and password for casting the vote.

In case any member has not registered his email address with the Company/RTA and/or has not updated his/her bank account mandate for receipt of Dividend, please follow below mentioned instructions:

a) Register the email id for obtaining Annual Report and login details for e-voting. **(on or before 5 p.m. (IST) on 20th August, 2020)**

| | |
|---|---|
| a) | Visit the https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html |
| b) | Select the company name viz. RITES Limited; |
| c) | Enter the DP ID & Client ID / Physical Folio No. and PAN number. In the event of PAN details are not available on record for Physical Folio, Members to enter one of the Share Certificate numbers; |
| d) | Upload the self- attested copy of PAN card for authentication. If PAN details are not available in the system, the system will prompt the Member to upload the self- attested copy of the PAN card for updation; |
| e) | Enter email address and mobile number; |
| f) | The system will then confirm the email address for receiving the AGM notice. |

b) Receiving Dividend directly in the bank accounts through Electronic Clearing Service (ECS) or any other means **(on or before before 5 p.m. (IST) on 20th August, 2020).**

| | |
|---|---|
| Physical holding | a) Visit the https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html;<br>b) Under the "update bank details", fill the following details:<br>1) Bank Account No.<br>2) Bank Name<br>3) IFSC Code<br>c) Upload a self attested scanned copy of the PAN card;<br>d) Upload a self attested scanned copy of any document (such as AADHAR card, passport) in support of the address of the Member as registered with the Company;<br>e) Upload a self attested scanned copy of cancelled cheque leaf bearing the name of the member or first holder, in case shares are held jointly. |
| Demat Holding | Members holding shares in DEMAT form are requested to update their Electronic Clearing Mandate with their respective DPs. |

In case members have any queries regarding e-voting, they may refer the **Frequently Asked Questions ('FAQs')** and **Instavote e-Voting manual** available at **https://instavote.linkintime.co.in**, under **help** section or send an email to **enotices@linkintime.co.in** or contact on: - **Tel: 022 – 4918 6000** or contact **Mr. Swapan Kumar Naskar,** AVP- North India Operation, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Phone: +91 11 49411000, Extn-7106 and email id - **swapann@linkintime.co.in**, who will also address grievances connected with voting by electronic means.

The details of AGM are available on the website of the company at **www.rites.com** and LIIPL at **https://instavote.linkintime.co.in.** The Annual Report and Notice of the AGM for the Financial Year 2019-20 are also available on the websites of stock exchanges i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

Notice is also hereby given, under section 91 of the act and regulation 42 of the Listing Regulations that the register of members and share transfer books of the company will remain closed from 21.08.2020 (Friday) to 28.08.2020 (Friday) (both days inclusive) for the purpose of AGM of the company. Dividend will be paid to the shareholders holding shares on the Record Date fixed by the company i.e. August 20, 2020.

For **RITES Limited**
Sd/-
**Ashish Srivastava**
**Company Secretary**

Place : Gurugram
Date : 06.08.2020

IDFC MUTUAL FUND

## Notice - Cum – Addendum No. 20 of 2020

**Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of select open ended schemes and Statement of Additional Information (SAI) of IDFC Mutual Fund (the Fund)**

**Change in features of the Schemes:**

**NOTICE** is hereby given that pursuant to provisions of SEBI Circulars no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/160 dated December 28, 2018 and SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2019/127 dated November 07, 2019, the Board of Directors of IDFC AMC Trustee Company Limited (the Trustees to the Fund) and IDFC Asset Management Company Limited (the AMC) have approved insertion of enabling provisions for creation of segregated portfolio of debt and money market instruments in case of a credit event in following schemes ("the Schemes") of the Fund, with effect from September 19, 2020 ("Effective Date"):

1. IDFC Banking & PSU Debt Fund
2. IDFC Corporate Bond Fund
3. IDFC Dynamic Bond Fund
4. IDFC Cash Fund
5. IDFC Low Duration Fund
6. IDFC Bond Fund - Short Term Plan
7. IDFC Bond Fund - Medium Term Plan
8. IDFC Bond Fund - Income Plan
9. IDFC Money Manager Fund
10. IDFC Overnight Fund
11. IDFC Ultra Short Term Fund
12. IDFC Credit Risk Fund
13. IDFC Arbitrage Fund
14. IDFC Hybrid Equity Fund
15. IDFC Regular Savings Fund
16. IDFC Dynamic Equity Fund
17. IDFC Equity Savings Fund

Accordingly, below provisions shall be inserted in the SID / KIM of the Schemes and SAI of the Fund, as applicable.

**CREATION OF SEGREGATED PORTFOLIO**

The AMC may create segregated portfolio of debt and money market instruments in a mutual fund scheme in case of a credit event / actual default and to deal with liquidity risk.

In this regard, the term 'segregated portfolio' shall mean a portfolio comprising of debt or money market instrument affected by a credit event / actual default that has been segregated in a mutual fund scheme and the term 'main portfolio' shall mean the scheme portfolio excluding the segregated portfolio. The term 'total portfolio' shall mean the scheme portfolio including the securities affected by the credit event / actual default.

A segregated portfolio may be created in a mutual fund scheme in case of a credit event at issuer level i.e. downgrade in credit rating by a SEBI registered Credit Rating Agency (CRA), as under:

a. Downgrade of a debt or money market instrument to 'below investment grade', or
b. Subsequent downgrades of the said instruments from 'below investment grade', or
c. Similar such downgrades of a loan rating.

In case of difference in rating by multiple CRAs, the most conservative rating shall be considered. Creation of segregated portfolio shall be based on issuer level credit events as detailed above and implemented at ISIN level.

Further, segregated portfolio of unrated debt or money market instruments may also be created in case of actual default of either the interest or principal amount.

**Process for creation of segregated portfolio**

1. The AMC shall decide on creation of segregated portfolio on the day of credit event / default, as applicable, as per the process laid down below:
   a. The AMC shall seek approval of Trustees, prior to creation of the segregated portfolio.
   b. The AMC shall immediately issue a press release disclosing its intention to segregate such debt and money market instrument and its impact on the investors. It shall also be disclosed that the segregation shall be subject to trustee approval. Additionally, the said press release shall be prominently disclosed on the website of the AMC.
   c. The AMC shall ensure that till the time the Trustee approval is received, the subscription and redemption in the scheme shall be suspended for processing with respect to creation of units and payment on redemptions.
2. Upon receipt of approval from Trustees:
   a. The segregated portfolio shall be effective from the day of credit event / default.
   b. The AMC shall issue a press release immediately with all relevant information pertaining to the segregated portfolio. The said information shall also be submitted to SEBI.
   c. An e-mail or SMS should be sent to all unit holders of the concerned scheme.
   d. The NAV of both segregated and main portfolio shall be disclosed from the day of the credit event / default.
   e. All existing investors in the scheme as on the day of the credit event / default shall be allotted equal number of units in the segregated portfolio as held in the main portfolio.
   f. No redemption and subscription shall be allowed in the segregated portfolio. However, in order to facilitate exit to unit holders in segregated portfolio, AMC shall enable listing of units of segregated portfolio on the recognized stock exchange within 10 working days of creation of segregated portfolio and also enable transfer of such units on receipt of transfer requests.
3. If the trustees do not approve the proposal to segregate portfolio, the AMC shall issue a press release immediately informing investors of the same.
4. Notwithstanding the decision to segregate the debt and money market instrument, the valuation shall take into account the credit event / default and the portfolio shall be valued based on the principles of fair valuation (i.e. realizable value of the assets) in terms of the relevant provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and Circular(s) issued thereunder.
5. All subscription and redemption requests for which NAV of the day of credit event / default or subsequent day is applicable will be processed as per the existing circular on applicability of NAV as under :
   a. Upon trustees' approval to create a segregated portfolio :-
      i. Investors redeeming their units will get redemption proceeds based on the NAV of main portfolio and will continue to hold the units of segregated portfolio.
      ii. Investors subscribing to the scheme will be allotted units only in the main portfolio based on its NAV.
   b. In case trustees do not approve the proposal of segregated portfolio, subscription and redemption applications will be processed based on the NAV of total portfolio.
6. In order to enable the existing as well as the prospective investors to take informed decision, the following shall be adhered to:
   a. A statement of holding indicating the units held by the investors in the segregated portfolio along with the NAV of both segregated portfolio and main portfolio as on the day of the credit event / default shall be communicated to the investors within 5 working days of creation of the segregated portfolio.
   b. Adequate disclosure of the segregated portfolio shall appear in all scheme related documents, in monthly and half-yearly portfolio disclosures and in the annual report of the mutual fund and the scheme.
   c. The Net Asset Value (NAV) of the segregated portfolio shall be declared on daily basis.
   d. The information regarding number of segregated portfolios created in a scheme shall appear prominently under the name of the scheme at all relevant places such as SID, KIM-cum-Application Form, advertisement, AMC and AMFI websites, etc.
   e. The scheme performance required to be disclosed at various places shall include the impact of creation of segregated portfolio. The scheme performance should clearly reflect the fall in NAV to the extent of the portfolio segregated due to the credit event / default and the said fall in NAV along with recovery(ies), if any, shall be disclosed as a footnote to the scheme performance.
   f. The disclosures at paragraph (d) and (e) above regarding the segregated portfolio shall be carried out for a period of at least 3 years after the investments in segregated portfolio are fully recovered/ written-off.
   g. The investors of the segregated portfolio shall be duly informed of the recovery proceedings of the investments of the segregated portfolio. Status update may be provided to the investors at the time of recovery and also at the time of writing-off of the segregated securities.
7. In order to ensure timely recovery of investments of the segregated portfolio, the Trustees to the fund would continuously monitor the progress and take suitable action as may be required.
8. TER for the Segregated Portfolio:
   a. AMC shall not charge investment and advisory fees on the segregated portfolio.
   However, TER (excluding the investment and advisory fees) can be charged, on a prorata basis only upon recovery of the investments in segregated portfolio.
   b. The TER so levied shall not exceed the simple average of such expenses (excluding the investment and advisory fees) charged on daily basis on the main portfolio (in % terms) during the period for which the segregated portfolio was in existence.
   c. The legal charges related to recovery of the investments of the segregated portfolio may be charged to the segregated portfolio in proportion to the amount of recovery.
   However, the same shall be within the maximum TER limit as applicable to the main portfolio. The legal charges in excess of the TER limits, if any, shall be borne by the AMC.
   d. The costs related to segregated portfolio shall in no case be charged to the main portfolio.
   Investors may also note that the process followed by the AMC/Trustees regarding creation of segregated portfolios shall be in accordance with the provisions laid down by SEBI in this regard, from time to time.

**Monitoring by Trustees:**

1. In order to ensure timely recovery of investments of the segregated portfolio, trustees will ensure that:
   a. The AMC puts in sincere efforts to recover the investments of the segregated portfolio.
   b. Upon recovery of money, whether partial or full, it shall be immediately distributed to the investors in proportion to their holding in the segregated portfolio. Any recovery of amount of the security in the segregated portfolio even after the write off shall be distributed to the investors of the segregated portfolio.
   c. An action taken report on the efforts made by the AMC to recover the investments of the segregated portfolio is placed in every trustee meeting till the investments are fully recovered / written-off.
   d. The trustees shall monitor the compliance of guidelines prescribed by SEBI in this regard and disclose in the half-yearly trustee reports filed with SEBI, the compliance in respect to every segregated portfolio created.
2. In order to avoid misuse of the segregated portfolio facility, the Trustees have ensured that the AMC has a mechanism in place to negatively impact the performance incentives of the Fund Manager, Chief Investment Officer (CIO), etc involved in investment process of securities under the segregated portfolio, mirroring the existing mechanism for performance incentives of the AMC, including claw back of such amount to the segregated portfolio of the Scheme.

**Numerical Illustration explaining how segregated portfolios will work:**

**A. Before Segregation:**

| Total Debt Portfolio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total investors in the Scheme: 2 | Units | Amount | | Portfolio | Value |
| Investor A | 30,000 | 3,75,000 | | Debt A | 5,00,000 |
| Investor B | 50,000 | 6,25,000 | | Debt B | 3,00,000 |
| | | | | Debt C | 2,00,000 |
| **Total** | **80,000** | **10,00,000** | | **Total** | **10,00,000** |
| **NAV (Full Portfolio): Rs. 12.5** | | | | | |

**B. 'Debt B' instrument is downgraded. Value of the security falls from 3,00,000 to 2,80,000 and portfolio is segregated**

| Main Portfolio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investors** | **Units** | **Amount** | | **Portfolio** | **Value** |
| Investor A | 30,000 | 2,62,500 | | Debt A | 5,00,000 |
| Investor B | 50,000 | 4,37,500 | | Debt C | 2,00,000 |
| **Total** | **80,000** | **7,00,000** | | **Total** | **7,00,000** |
| **NAV (Main Portfolio): Rs. 8.75** | | | | | |
| **Segregated Portfolio** | | | | | |
| **Investors** | **Units** | **Amount** | | **Portfolio** | **Value** |
| Investor A | 30,000 | 1,05,000 | | Debt B | 2,80,000 |
| Investor B | 50,000 | 1,75,000 | | | |
| **Total** | **80,000** | **2,80,000** | | **Total** | **2,80,000** |
| **NAV (Segregated Portfolio): Rs. 3.5** | | | | | |
| **Total Holdings** | | | | | |
| **Investors** | **Portfolio** | **Units** | | **Amount** | **Total** |
| **Investor A** | Main | 30,000 | | 2,62,500 | **3,67,500** |
| | Segregated | 30,000 | | 1,05,000 | |
| **Investor B** | Main | 50,000 | | 4,37,500 | **6,12,500** |
| | Segregated | 50,000 | | 1,75,000 | |

**Notes:**

- Investors who invest / subscribe to the units of the Scheme post creation of segregated portfolio shall be allotted units in the Main portfolio only.
- Investors redeeming their units post creation of segregated portfolio will get redemption proceeds based on NAV of main portfolio and will continue to hold units in Segregated Portfolio.
- No redemption and / or subscription shall be allowed in the segregated portfolio.
- Units of segregated portfolio shall be listed on a recognized stock exchange

**Risks associated with segregated portfolio:**

1. **Liquidity Risk** - A segregated portfolio is created when a credit event / default occurs at an issuer level in the scheme. This may reduce the liquidity of the security issued by the said issuer, as demand for this security may reduce. This is also further accentuated by the lack of secondary market liquidity for corporate papers in India. As per SEBI norms, the scheme is to be closed for redemption and subscriptions until the segregated portfolio is created, running the risk of investors being unable to redeem their investments. However, it may be noted that, the proposed segregated portfolio is required to be formed within one day from the occurrence of the credit event.
   Investors may note that no redemption and subscription shall be allowed in the segregated portfolio. However, in order to facilitate exit to unit holders in segregated portfolio, AMC shall list the units of the segregated portfolio on a recognized stock exchange within 10 working days of creation of segregated portfolio and also enable transfer of such units on receipt of transfer requests. For the units listed on the exchange, it is possible that the market price at which the units are traded may be at a discount to the NAV of such Units. There is no assurance that an active secondary market will develop for units of segregated portfolio listed on the stock exchange. This could limit the ability of the investors to resell them.
2. **Valuation Risk** - The valuation of the securities in the segregated portfolio is required to be carried out in line with the applicable SEBI guidelines. However, it may be difficult to ascertain the fair value of the securities due to absence of an active secondary market and difficulty to price in qualitative factors.

**Exit option to unitholders:**

The change in aforesaid features being a change in the fundamental attributes of the Schemes, in terms of regulation 18(15A) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, investors in the Schemes are given an option to exit (redeem / switch-out) at the prevailing Net Asset Value without any exit load, in case they do not wish to continue in the Schemes in view of the proposed changes. The period of this no load exit offer is valid for a period of 32 days from August 18, 2020 to September 18, 2020 (both days inclusive and upto applicable cut-off time on September 18, 2020). The no load exit option will be available only to those investments in the Schemes made prior to August 10, 2020.

Investors may further note that such exit option will not be available to unitholders whose units have been pledged or encumbered their units in the Schemes and Mutual Fund has been instructed to mark a pledge/lien on such units, unless the release of the pledge/ lien is obtained and appropriately communicated to AMC / Mutual Fund prior to applying for redemption/switch-out.

Unitholders who do not exercise the exit option on or before applicable cut-off time on September 18, 2020 would be deemed to have consented to the proposed change. It may be noted that the offer to exit is merely an option and is not compulsory.

As regards the unitholders who redeem their investments during the Exit Option Period, the tax consequences as set forth in the SAI of the Fund and SID of respective schemes would apply. In view of individual nature of tax consequences, unitholders are advised to consult their financial / tax advisor for detailed tax advice.

All other features, terms and conditions as stated in the SID/KIM of the Schemes and SAI of the Fund, read with the addenda issued from time to time, remain unchanged.

**The Notice-cum-Addendum forms an integral part of the SID/KIM of the Schemes and SAI of the Fund, read with the addenda issued from time to time.**

**Date: August 6, 2020**

**MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.**

financialexp.epapr.in

# बच्चों के कोरोना से लगभग सुरक्षित होने का दावा, फेसबुक ने पहली बार ट्रंप की पोस्ट हटाई

ह्यूस्टन, 6 अगस्त (भाषा)।

सोशल मीडिया मंच फेसबुक ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वह पोस्ट हटा दी है, जिसमें बच्चों के कोविड-19 से लगभग सुरक्षित होने का दावा किया गया था।

फेसबुक ने कहा कि यह कोरोना विषाणु को लेकर गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ उसकी नीति का उल्लंघन है। सोशल मीडिया मंच ने पहली बार ट्रंप की कोई पोस्ट अपने मंच से हटाई है। ट्रंप के प्रचार अभियान दल ने बुधवार को 'फॉक्स न्यूज चैनल' को दिए ट्रंप के एक साक्षात्कार की क्लिप (वीडियो) साझा की थी। वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया था कि बच्चे कोविड-19 से लगभग सुरक्षित हैं।

फेसबुक नीति के प्रवक्ता ने बयान में कहा, 'वीडिया में गलत दावा किया गया है कि लोगों का एक समूह कोविड-19 से सुरक्षित है। यह कोविड-19 को लेकर गलत सूचना फैलाने की हमारी नीति का उल्लंघन है।' उस पोस्ट पर अब लिखा आ रहा है 'यह पोस्ट अब मौजूद नहीं है।'

# नीरव मोदी की हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ी

लंदन, 6 अगस्त (भाषा)।

भगोड़े हीरा व्यवसायी नीरव मोदी की हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दो अरब डालर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले व धनशोधन मामले के आरोपी नीरव को ब्रिटेन की अदालत के समक्ष वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया।

पिछले वर्ष मार्च में गिरफ्तारी के बाद से ही 49 वर्षीय हीरा व्यवसायी दक्षिण पश्चिम लंदन की वांड्सवर्थ जेल में बंद है। उसे लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में जिला न्यायाधीश वेनेसा बेरेटसर के समक्ष वीडियो कान्फ्रेंस से पेश किया गया। उसे बताया गया कि सात सितंबर से पांच दिनों की सुनवाई से पहले होने वाली सुनवाई मामला प्रबंधन सुनवाई होगी। मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के पहले चरण में मई में जिला न्यायाधीश सैम्युअल गूजी ने सुनवाई की थी और दूसरे चरण की सुनवाई सात से 11 सितंबर के बीच होनी है। अगले महीने होने वाली सुनवाई में मोदी के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला तय करने के लिए जिरह पूरी होगी और भारतीय अधिकारी दूसरी बार प्रत्यर्पण का आग्रह करेंगे, जिसे इस वर्ष की शुरुआत में ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने मंजूर किया था।

# श्रीलंका चुनाव में राजपक्षे की पार्टी भारी जीत की ओर

- विश्लेषकों के अनुसार राजपक्षे परिवार द्वारा नियंत्रित श्रीलंका पीपुल्स पार्टी (एसएलपीपी) संसद में आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी।
- राष्ट्रपति को उम्मीद है कि एसएलपीपी को दो-तिहाई बहुमत मिलेगा। इससे वह संविधान में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति पद की शक्तियों को बहाल कर सकेंगे।

कोलंबो, 6 अगस्त (भाषा)।

श्रीलंका के प्रभावशाली राजपक्षे परिवार द्वारा नियंत्रित श्रीलंका पीपुल्स पार्टी (एसएलपीपी) गुरुवार को घोषित किए गए शुरुआती परिणामों के अनुसार संसदीय चुनाव में भारी जीत की ओर अग्रसर है। सिंहली बहुल दक्षिण क्षेत्र से अब तक पांच परिणामों की घोषणा की गई है। इनमें एसएलपीपी को 60 फीसद से अधिक मत मिले हैं।

एसएलपीपी की निकटतम प्रतिद्वंद्वी नई पार्टी है जिसकी स्थापना सजीथ प्रेमदासा ने की है। प्रेमदासा ने अपनी मूल पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) से अलग होकर नई पार्टी बनाई है। चुनाव परिणामों के अनुसार यूएनपी चौथे स्थान पर है। आधिकारिक परिणामों से पता चलता है कि मार्क्सवादी जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) ने भी यूएनपी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

तमिल बहुल उत्तर क्षेत्र में, मुख्य तमिल पार्टी को जाफना में एक क्षेत्र में जीत मिली है जबकि राजपक्षे की सहयोगी ईलम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (ईपीडीपी) ने जाफना जिले के अन्य क्षेत्र में तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) को हराया है। मतदान बुधवार को हुआ था। मतों की गिनती सुबह शुरू हुई। मतों की गिनती शुरू होते ही एसएलपीपी के संस्थापक बेसिल राजपक्षे ने कहा कि पार्टी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है।

विश्लेषकों के अनुसार एसएलपीपी 225 सदस्यीय संसद में आराम से बहुमत हासिल कर लेगी। बेसिल राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के छोटे भाई हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे उनके सबसे बड़े भाई हैं। राष्ट्रपति को उम्मीद है कि एसएलपीपी को दो-तिहाई बहुमत मिलेगा। इससे वह संविधान में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति पद की शक्तियों को बहाल कर सकेंगे। साल 2015 में संविधान में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती की गई थी।

# कोरोना के दौरान चीन और अधिक आक्रामक हुआ : मार्क एस्पर

- चीन ने भारत के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को तैनात किया है
- दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य अड्डे बना रहा है चीन

वाशिंगटन, 6 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि दुनिया ने देखा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान चीन और अधिक आक्रामक बन गया। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों को तैनात किया है और वह जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, वह अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप नहीं है।

एस्पर ने बुधवार को कहा, 'कोरोना संकट के दौरान पिछले सात महीनों में हमने देखा कि चीन और अधिक आक्रामक हो गया है।' एस्पर ने कहा कि चीन अपने फायदे के लिए इस त्रासदी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, 'चीन ने सच में बढ़-चढ़कर डींगें मारी है और हमने उन्हें दक्षिण चीन सागर में लगातार बलप्रयोग करते हुए देखा है।' बेजिंग दक्षिण चीन सागर के करीब 13 लाख वर्ग मील के हिस्से पर अपना दावा जताता है। चीन क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य अड्डे बना रहा है। इस क्षेत्र पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपीन, ताइवान और वियतनाम भी अपना दावा जताते हैं। एक सवाल के जवाब में एस्पर ने कहा कि चीन ने कुछ महीनों पहले वियतनाम की मछली पकड़ने की एक नौका को डुबो दिया था।

उन्होंने कहा, 'उन्होंने भारत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को तैनात कर दिया। हमने उन्हें अंतरराष्ट्रीय नियमों के असंगत व्यवहार करते हुए देखा और हमारे कई सहयोगी व साझेदार अच्छी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं।'' पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच उन्होंने यह टिप्पणी की है। रक्षा मंत्री ने हुवावे को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चीनी आक्रामकता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसके खिलाफ बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ावा देना है। चीन द्वारा पैदा खतरा क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक है।

## भारत व अमेरिका के संबंध अहम : अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन, 6 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका के दो सांसदों ने कहा कि भारत के प्रति चीन की आक्रामकता के मद्देनजर अमेरिका और भारत के करीबी संबंध बहुत मायने रखते हैं। प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष एलियॉट एंगल व रैंकिंग सदस्य माइकल टी मैककॉल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखे पत्र में कहा कि दोनों दलों के सदस्य भारत व अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों के 21वीं सदी पर मजबूत प्रभाव को समझते हैं।

# अमेरिका से भारत की सामरिक साझेदारी आने वाले दौर में होगी अहम : संधू

वाशिंगटन, 6 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि चूंकि भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के करीब पहुंच रहा है, ऐसे में अमेरिका के साथ उसकी सामरिक भागीदारी की ताकत आने वाले दौर में महत्त्वपूर्ण होगी।

उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के करीब पहुंचने पर भारत निरंतर राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में लगा है, व्यक्तिगत आजादी का विस्तार कर रहा है और साथ ही आर्थिक व राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ रहा है। संधू ने 'न्यूजवीक' पत्रिका में बुधवार को लिखे संपादकीय में कहा कि अमेरिका के साथ भारत की स्वाभाविक साझेदारी ताकत का स्रोत होगी। उन्होंने कहा, 'भारत के हमारे लोकतंत्र की 75वें साल की ओर बढ़ने के साथ हम अपने संस्थापकों की प्रतिभा को याद करते हैं जिनमें से कई अमेरिकी संविधान के आदर्शों से प्रेरित थे।'

# फ्रांस व अन्य देशों ने राहत व बचाव दलों को बेरूत भेजा

बेरूत, 6 अगस्त (एपी)।

बेरूत के बंदरगाह पर हुए विस्फोट के बाद फ्रांस उनके साथ खड़ा है, यह जताने के लिए राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों यहां आए हैं। फ्रांस और अन्य देशों ने आपात सहायता और खोज व बचाव दलों को यहां भेजा है। पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे लेबनान को वापस खड़े करने के लिए बड़ी अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत होगी। विस्फोट में कम से कम 135 लोग मारे गए हैं, हजारों की संख्या में लोग घायल हैं और बेरूत का बंदरगाह बर्बाद हो गया है।

सरकार ने बुधवार को बंदरगाह के सभी अधिकारियों को नजरबंद कर दिया और इस भीषण विस्फोट की जांच के आदेश दिए। वहीं गुरुवार को लेबनान की सेना ने अपने बुलडोजरों की मदद से मलबे को हटाया और बंदरगाह तबाह होने के कारण अवरुद्ध हो गई सड़कों को खोला। विस्फोट मंगलवार को हुआ था। ऐसा लग रहा है कि दुर्घटनावश लगी आग के कारण बंदरगाह पर रखे अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में विस्फोट हो गया और बंदरगाह पूरी तरह तबाह हो गया। बेरूत के गवर्नर मरवान अबूद ने बताया कि इस धमाके से लगभग 10 से 15 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। लगभग तीन लाख लोग बेघर हो गए हैं। कोरोना के चलते देश के अधिकतर अस्पताल पहले ही रोगियों से खचाखच भरे हैं। ऐसे में धमाके में घायल हुए लोगों के इलाज में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

**लापरवाही की हो रही है जांच**

जांचकर्ता बंदरगाह के मालगोदाम में विस्फोटक पदार्थ रखे जाने में संभावित लापरवाही की जांच कर रहे हैं और सरकार ने बंदरगाह के कई अधिकारियों को नजरबंद करने के आदेश दिए हैं।

# कोरोना से चूहों की रक्षा करने में कामयाब रहा टीका

वाशिंगटन, 6 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्ना द्वारा विकसित टीका चूहों की सार्स कोव-2 संक्रमण से रक्षा करने में कामयाब रहा। यही विषाणु कोरोना की वजह है।

पत्रिका 'नेचर' में बुधवार को प्रकाशित अनुसंधान रपट के अनुसार एमआरएनए-1273 नाम के टीके ने चूहों में विषाणु को निष्क्रिय करने वाली एंटीबॉडीज उत्पन्न कर दीं। चूहों को माइक्रोग्राम के दो इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन दिए गए थे। अतिरिक्त प्रयोग करने पर पाया गया कि चूहों को एमआरएनए-1273 का एक एमसीजी या 10 एमसीजी टीका देने पर फेफड़े को संक्रमण से सुरक्षा मिली। अध्ययन में पाया गया कि इस टीके ने चूहों में मजबूत सीडी8 टी-कोशिका प्रतिक्रिया भी पैदा की।

# कोरोना के गंभीर बीमार मरीजों के इलाज में कारगर नई दवा आरएलएफ-100

ह्यूस्टन, 6 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में अस्पताल के डॉक्टरों ने आरएलएफ-100 नाम की नई दवा का इस्तेमाल किया है, जिससे गंभीर रूप से बीमार कोरोना के मरीज तेजी से स्वस्थ हुए जिन्हें सांस लेने में कठिनाई की शिकायत थी। इस दवा को एविप्टाडिल नाम से भी जाना जाता है।

एफडीए ने आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए इस दवा को मंजूरी दे दी है। ह्यूस्टन मेथडिस्ट अस्पताल ने इस दवा के इस्तेमाल से वेंटीलेटर वाले मरीजों के तेजी से स्वस्थ होने की जानकारी दी है। न्यूरोएक्स और रिलीफ थेराप्यूटिक्स ने मिलकर इस दवा को विकसित किया है। दवा बनाने वाली कंपनी न्यूरोएक्स के अनुसार स्वतंत्र अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि एविप्टाडिल मानव फेफड़ों की कोशिकाओं और मोनोसाइट्स में सार्स कोरोना विषाणु की प्रतिकृति बनने से रोकता है।

रपट के अनुसार कोरोना की चपेट में आया 54 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होने के बाद इस दवा के इस्तेमाल से चार दिन के भीतर वेंटीलेटर से हट गया। इसके अलावा 15 से अधिक मरीजों पर भी इलाज के ऐसे ही नतीजे देखे गए। न्यूरोएक्स के सीईओ व अध्यक्ष प्रोफेसर जोनाथन जैविट ने कहा, 'अन्य किसी भी वायरल रोधी एजंट ने वायरल संक्रमण से इतनी तेजी से उबरने की दर नहीं दिखाई।'

# शराब छुड़ाने वाली दवा से कोरोना से लड़ने में मिल सकती है मदद : अध्ययन

मास्को, 6 अगस्त (भाषा)।

शराब की लत छुड़ाने वाली दवा डाइसलफिराम के उपयोग से सार्स-कोव-2 से निजात पाने में मदद मिल सकती है। यह जानकारी नए अनुसंधान में सामने आई है।

रूस में नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एचएसई) के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि संभावित इलाज के लिए कोरोना विषाणु के संरचनामत्मक तत्त्वों को चुना जाना चाहिए जिनमें विकास के दौरान परिवर्तन की संभावना कम हो। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर एक प्रकार (स्ट्रेन) के खिलाफ जो दवा प्रभावी होगी वह दूसरे के खिलाफ प्रभावी नहीं रह जाएगी। मेंदिलिव कम्युनिकेशंस पत्रिका में छपे अध्ययन के मुताबिक इसके लिए सार्स- कोव-2 विषाणु के मुख्य प्रोटीज एम प्रो सबसे प्रभावी प्रोटीन हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि उत्परिवर्तन के प्रतिरोधी होने के अलावा एमप्रो कोरोना विषाणु को रोकने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि इसका अवरोध शरीर के अंदर विषाणु को कमजोर करने या इसे पूरी तरह रोकने में सक्षम है। संभावित दवाओं को अमेरिकी खाद्य व दवा प्रशासन (एडीए) की तरफ से मंजूर दवाओं के डेटाबेस से लिया गया।

अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि शराब की लत छुड़ाने वाली दवा डाइसलफिराम सार्स कोव-2 से दो तरीके से लड़ता है। उन्होंने कहा कि पहला यह सहअवरोधक है और दूसरा यह कोविड-19 के लक्षणों को भी रोकता है जैसे यह घटे ग्लूटाथियोन को रोकने में काफी मदद करता है जो महत्त्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है।

RITES
राइट्स लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम)
सीआईएन नं.: L74899DL1974GOI007227
पंजीकृत कार्यालय: स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092

46वीं वार्षिक आम सभा का नोटिस तथा ई-वोटिंग एवं बुक क्लोजर सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की 46वीं वार्षिक आम सभा ('एजीएम') का आयोजन **शुक्रवार दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्रातः 11:30 बजे वीडियो कांफ्रेंस ("वीसी")/अन्य आडियो विजुअल विधियों ("ओएवीएम")** के माध्यम से एजीएम के नोटिस में उल्लिखित कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाएगा। कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिनांक 6 अगस्त, 2020 को उन सदस्यों के ई-मेल पतों पर भेज दी गई है, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपोजिटरियों के पास कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठनीय दिनांक 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप में "एमसीएस परिपत्र" के नाम से संदर्भित) 5 मई, 2020 के परिपत्र तथा सेबी के दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र के अनुसार पंजीकृत हैं।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.rites.com** पर "**INVESTORS <SHAREHOLDERS MEETING**" खंड के अंतर्गत भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे उसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज तथा पंजीकृत सदस्यों को बिना किसी फीस के भुगतान के नोटिस के वितरण की तिथि, एजीएम के आयोजन की तिथि अर्थात 28 अगस्त, 2020 तक जांच के लिए उपलब्ध होंगे। इन दस्तावेजों की जांच करने के इच्छुक सदस्य ई-मेल के माध्यम से अपना अनुरोध ई-मेल पते **cs@rites.com** पर भेज सकते हैं। परस्पर अनुकूलता होने पर जांच की व्यवस्था की जाएगी।

समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्रों के अनुसार सदस्यों को एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी संकल्पों पर अपना वोट लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एलआईआईपीएल") द्वारा व्यवस्था किए जा रहे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग) पर देने की सुविधा प्रदान की गई है। सदस्यों के वोटिंग अधिकार उनके द्वारा बृहस्पतिवार, दिनांक 20 अगस्त, 2020 **(कटऑफ तिथि)** को धारित कंपनी के इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त, 2020 को प्रातः 9 बजे (भारतीय मानक समय) प्रारंभ होगी तथा यह बृहस्पतिवार दिनांक 27 अगस्त, 2020 को सायं 5 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। इसके पश्चात एलआईआईपीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल बंद कर दिया जाएगा। वीडियो कांफ्रेंस/अन्य आडियो विजुअल विधियों के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया है तथा जिन पर इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने के पात्र होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम के आयोजन से पूर्व अपना वोट दे चुके सदस्य वीडियो कांफ्रेंस/अन्य आडियो विजुअल विधियों से आयोजित की जा रही एजीएम में भाग/प्रतिभागिता कर सकेंगे परन्तु उन्हें फिर से वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए नोटिस के पश्चात शेयरों का धारण करके, कंपनी का सदस्य बनता है तथा उसके पास कटऑफ तिथि को शेयरों का धारण है तो वह अपनी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने का अनुरोध **instameet@linkintime.co.in** को भेज सकता है। तथापि, यदि वह एलआईआईपीएल में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के लिए भी पंजीकृत है तो वह अपने विद्यमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग वोट देने के लिए कर सकता है।

यदि किसी भी सदस्य ने कंपनी/आरटीए के पास अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवायी है तथा/या लाभांश प्राप्त करने हेतु अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन(अपडेट) नहीं करवाया है तो वे कृपया निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:-

क) ई-मेल आईडी वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु पंजीकृत करवायें **(20 अगस्त, 2020 तक सांय 5.00 बजे (आईएसटी) से पहले या तक)।**

| | |
|---|---|
| क) | https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर जाएं। |
| ख) | कंपनी का नाम चयनित करें अर्थात राइटट लिमिटेड; |
| ग) | डीपी आईडी तथा क्लाईट आईडी/फिजिकल फोलियों नंबर तथा पैन नंबर दर्ज करें। रिकॉर्ड में फिजिकल फोलियों के लिए पैन नंबर का विवरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, सदस्य को अपने एक शेयर प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करना होगा; |
| घ) | प्रमाणीकरण के लिए, पैन कॉर्ड की स्वःसत्यापित प्रति अपलोड करें। यदि सिस्टम में पैन विवरण उपलब्ध है तो सिस्टम अपडेशन के लिए सदस्य को पैन कॉर्ड की स्वःसत्यापित प्रति अपलोड करने का निदेश प्राप्त होगा; |
| च) | ई-मेल पता तथा मोबाईल नंबर दर्ज करें; |
| छ) | इसके उपरांत, सिस्टम एजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु ई-मेल पते की पुष्टि करेगा। |

ख) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) या किसी अन्य माध्यम से सीधे लाभांश प्राप्त करना **(20 अगस्त, 2020 तक सांय 5.00 बजे (आईएसटी) से पहले या तक)।**

| | |
|---|---|
| भौतिक धारण | क) https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html; पर जाएं;<br>ख) "बैंक विवरण अपडेट" के अंतर्गत, निम्नलिखित जानकारी भरें:<br>1) बैंक खाता संख्या<br>2) बैंक का नाम<br>3) आईएफएससी कोड<br>ग) पैन कार्ड की स्वःप्रमाणित स्कैन कॉपी अपलोड करें;<br>घ) कंपनी में सदस्य के रूप में पंजीकरण करवाने के लिए किसी भी दस्तावेज की स्वयंःसत्यापित स्कैन की गई प्रति (जैसेकि आधार कार्ड, पासपोर्ट) अपलोड करें;<br>च) सदस्य के नाम तथा यदि शेयरों का संयुक्त धारण है तो प्रथम धारक के नाम वाले रद्द किए गए चैक की स्कैन की गई स्वयं सत्यापित प्रति अपलोड करें। |
| डीमैट होल्डिंग | डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मैंडेट को अद्यतन(अपडेड) कर लें। |

यदि सदस्यगणों का ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न है, तो वे **https://instavote.linkintime.co.in** के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') तथा इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें या **enotices@linkintime.co.in** पर ई-मेल भेजें या टेलीफोन नंबर 022 – 4918 6000 पर संपर्क करें या श्री स्वपन कुमार नस्कर, एवीपी-उत्तर भारत ऑपरेशन, लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाईट्स, प्रथम तल, एनएच-2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली से टेलीफोन नंबर +91 11 49411000 एक्सटेंशन – 7106 तथा उन्हें ई-मेल आईडी **swapann@linkintime.co.in** पर संपर्क करें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने की शिकायतों का भी समाधान करेंगें।

एजीएम की सूचना, कंपनी की वेबसाइट **www.rites.com** तथा एलआईआईपीएल की वेबसाइट **https://instavote.linkintime.co.in** पर भी उपलब्ध है। वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु एजीएम की सूचना, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी की एजीएम के उद्देश्य हेतु अधिनियम की धारा 91 तथा सूचीबद्धता विनियम 42 के तहत कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही 21.08.2020 (शुक्रवार) से 28.08.2020 (शुक्रवार) तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगा। कंपनी द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड तिथि अर्थात 20 अगस्त, 2020 को शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जायेगा।

कृते राइट्स लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
आशीष श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 06.08.2020

IndiGo

इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड
सीआईएन: एल62100डीएल2004पीएलसी129768
पंजीकृत कार्यालय: सेन्ट्रल विंग, ग्राऊंड फ्लोर, थापर हाउस, 124, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001, भारत
टेलीफोन: +91 9650098905; फैक्स: +91 11 4351 3200
ई-मेल: investors@goindigo.in; वेबसाइट: www.goindigo.in

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की सतरहवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम / ई – एजीएम) शुक्रवार, 04 सितम्बर 2020 को प्रातः 10 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित कारोबार को संपादित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

कोविड – 19 महामारी के प्रसार को ध्यान मे रखते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने परिपत्र सं० 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं० 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 एवं परिपत्र सं० 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने अपने परिपत्र सं० SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ("सेबी परिपत्र") के माध्यम से ओएवीएम अथवा वीसी द्वारा एजीएम संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") इस सूचना के साथ कंपनी के सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दी जाएगी। सदस्य कृप्या यह भी ध्यान दें कि सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी वेबसाइट www.goindigo.in के Investor Relations अनुभाग एवं स्टॉक एक्सचेंजो अर्थात बीएसई लिमिटेड के वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.nseindia.com तथा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिनटेक") के वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध रहेंगे। सदस्य सिर्फ वीसी/ ओवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं तथा https://emeetings.kfintech.com पर ई – एजीएम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। ई – एजीएम में भाग लेने के निर्देश सूचना में दे दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के निर्धारण के उद्देश्य से की जाएगी।

ई-मेल पते पंजीकृत / अपलोड करने का तरीका :

ऐसे सदस्य, जिनके ई-मेल पते कंपनी/केफिनटेक/डिपोजिटरिज के पास पंजीकृत है, उनको रिमोट ई-मतदान द्वारा मतदान के लिए लॉगिन क्रेडेंशिअल उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा रही है। वही लॉगिन क्रेडेंशियल वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने अथवा एजीएम के दौरान मतदान के लिए उपयोग किया जा सकता है।

जिन सदस्यों के ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपना ई-मेल पता निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा पंजीकृत करा लें :

क. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने सम्बन्धित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को संपर्क कर के अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं।

ख. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ई-मेल पता एवं मोबाईल न० के विवरण देने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्कैन प्रति, पैन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति, शेयर सर्टिफिकेट के प्रति के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ई-मतदान के निर्देश के साथ सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने एवं अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने के लिए केफिनटेक को ई-मेल पता einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल भेज कर अपना ई-मेल पता एवं मोबाईल न० पंजीकृत करा सकते हैं

कंपनी ने सदस्यों को https://ris-kfintech-com/email_registration लिंक पर क्लिक करके इलेक्ट्रॉ. निक मोड में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते के अस्थायी पंजीकरण के लिए भी सुविधा प्रदान की है। ई-मेल पते के सफल पंजीकरण के बाद, कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों को इलेक्ट्रॉ. निक मोड में वार्षिक रिपोर्ट और सूचना मिलेगी।

कंपनी सदस्यों को रिमोट ई-मतदान के माध्यम से सूचना में निर्धारित कारोबार पर अपना वोट डालने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-मतदान के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया सूचना में दी गई है। उक्त विवरण कंपनी की वेबसाइट www.goindigo.in और केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगा।

रिमोट ई-मतदान के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल ई-मेल के माध्यम से सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जाएंगे। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉग-इन क्रेडेंशियल ले सकते हैं।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला था, वे ई-एजीएम (इंस्टा पोल) के दौरान उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होंगे।

उपरोक्त एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनुपालन में सभी सदस्यों की जानकारी और सुविधा के लिए यह नोटिस जारी किया जा रहा है।

वास्ते इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड

हस्ता/–
संजय गुप्ता
कंपनी सचिव तथा मुख्य अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 06 अगस्त, 2020
स्थान : गुड़गाँव

www.readwhere.com